न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

दमा नं0 45/2021

1. अशोक
2. राजेन्द्र
3. राजेश पिसरान गुरूदयाल
4. गीता
5. घौडी पुत्रीयान गुरूदयाल
6. मीरा पुत्री गुरूदयाल नाबालिग संरक्षक माता मैना पत्नि गुरूदयाल
7. दीन दयाल
8. चरण सिंह
9. देशराज पिसरान रोशन
10. देवीसिंह
11. मंगल सिंह पिसरान सुन्दरलाल
12. बबीता पुत्री सुन्दर लाल जाति जाटव निवासी गोपालगढ तहसील पहाडी

वादीगण

बनाम

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी जिला भरतपुर

प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 15,88,89, आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– श्री प्रमोद शर्मा वकील वादीगण

दिनांक :– 02/03/2022

निर्णय

वादीगण द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 15, 88,89, आर0टी0एक्ट इस आशय का पेश किया कि साविक खसरा नम्बर 1092/0.25, 1093/0.23 नये खसरा नम्बर 1239/0.25, 240/0.24 बांके ग्राम गोपालगढ तहसील पहाडी में स्थित है। पक्षकारान मुकदमा से सम्बन्धित वादी संख्या 6 नाबालिग है जो अपनी माता के संरक्षण में रहकर परवरिश पा रही है। आराजी मुत0 वादीगण के बाबा धनमत पुत्र इदू की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी। जिस पर धनमत अपने जीवन काल तक काश्त करता रहा और उसके बाद वादी संख्या 1 लगायत 6 के पिता गुरूदयाल सिंह , वादी संख्या 7 लगायत 9 के पिता रोशन व 10 लगायत 12 के पिता सुन्दर लाल वहैसियत खातेदार काश्त करते रहे रिकॉर्ड में वादीगण का नाम खातेदार दर्ज ना कर गैरखातेदार दर्ज होता चला आ रहा है। जो कतई गलत व

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

खिलाफ कानून व मौका है वादीगण को आराजी पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत खातेदार काश्तकार दर्ज कर देना चाहिए था जबकि आज भी वादीगण को उक्त आराजी पर गैरखातेदार दर्ज कर रखा है। इस प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में चले आ रहे गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन करा पाने के अधिकारी है। वादीगण को दावा पेश करने से पूर्व न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) जा0दी0 प्रस्तुत कर सरकार के विरूद्ध दावा पेश करने की अनुमति ले ली है। वादीगण विवादित आराजी पर मुताबिक हिस्सा खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज है ।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी ने न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 30/12/21 को वादीगण के दावा को स्वीकार करते हुये । जबाब पेश किया कि आराजी वादीगण की पुश्तैनी आराजी है जिस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से ही वादीगण बुजुर्गान गैर मौरोसी के रूप में काबिज काश्त थे । वादीगण के बुजुर्ग धनमत पुत्र इदू के गुजरने के बाद गुरूदयाल, रोशन, सुन्दरलाल के वारिसान के रूप में काश्त की अब वादीगण का मुताबिक हिस्सा आराजी पर कब्जा काश्त है। आराजी पर वादीगण की फसल खडी हुई है इस प्रकार आराजी वादीगण की पुश्तैनी आराजी है ।मुताबिक कानून वादीगण को राजस्व रिकॉर्ड में गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन कर खातेदार दर्ज किया जाना न्यायोचित होगा। उक्त आराजी धारा 16 के तहत नहीं आती है। जिस पर वादीगण को मुताबिक हिस्सा खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड किया जाना न्यायहित में है।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई ।

तनकी संख्या 1 :– आया आराजी वादीगण की बुजुर्गान की आराजी है। जिस पर वादीगण काबिज काश्त है।

.....वादीगण

तनकी संख्या 2 :– आया आराजी को वादीगण अपने नाम खातेदार दर्ज रिकॉर्ड करा पाने के अधिकारी है।

.....वादीगण

3 :– दादरसी ।

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में पी0डब्लू0 1 राजेन्द्र, पी0डब्लू0 2 राजेश , के शपथ पत्र पेश किये। दस्तावेजी साक्ष्य मे नकल जमाबन्दी सम्वत 2009–12, 2013–16, 2018–21, 2022–25, 2029–32, 2030–33, 2037–40, 2042–45, 2046–49, 2050–53, 2054–57, 2058–61, 2062–65, 2066–69, तथा आधार वर्ष 2074 व सम्वत 2075–78 एवं नकल खसरा गिरावरी सम्वत 2014–17, 2017–21, 2022–25, 2034–37, 2054–57, 2058–61, 2065–68, 2066–69, 2070–73, 2074–75, पेश की।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। बहस में वकील वादीगण ने अपने दावे में दर्ज तथ्यों को दोहराया ।

हमने वकील वादीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। तनकीबार विवेचन निम्नानुसार है।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

तनकी संख्या :– 1 आया आराजी वादीगण की बुजुर्गान की आराजी है। जिस पर वादीगण काबिज काश्त है।

उक्त तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण पर हैं। पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं जबाब तहसीलदार के मुताबिक आराजी वादीगण के पिता/दादा की आराजी है। पत्रावली में संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2009–12 में आराजी वादीगण के दादा धनमत पुत्र ईदू की गैर मौरोसी की आराजी थी। वादीगण के बुजुर्ग धनमत पुत्र इदू के गुजरने के बाद गुरूदयाल, रोशन, सुन्दरलाल के वारिसान के रूप में काश्त की अब वादीगण का मुताबिक हिस्सा आराजी पर कब्जा काश्त है। आराजी पर वादीगण के पिता/दादा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने के पूर्व से ही गैर मौरोसी राजस्व रिकॉर्ड इन्द्राज है। आराजी वादीगण की पुश्तैनी आराजी है। तहसीलदार पहाडी ने भी अपने जबाब में स्वीकार किया है कि आराजी वादीगण की पुश्तैनी आराजी है। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी वाहक वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या :– 2 आया आराजी को वादीगण अपने नाम खातेदार दर्ज रिकॉर्ड करा पाने के अधिकारी है।

उक्त तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण पर हैं। पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं जबाब तहसीलदार पहाडी के मुताबिक वादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने से पूर्व ही आराजी पर काबिज काश्त है। आराजी वादीगण की पुश्तैनी आराजी है। वादीगण का कब्जा व काश्त है एवं आराजी धारा 16 के अधीन नहीं आती है। ऐसी स्थिति में आराजी को वादीगण अपने नाम खातेदार दर्ज रिकॉर्ड करा पाने के अधिकारी है। उक्त तनकी वाहक वादीगण निर्णित की जाती है।

3. दादरसी :– तनकी संख्या 1 व 2 वादीगण के पक्ष में निर्णित हो गई है ऐसी स्थिति में दावा वादीगण डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

दावा वादीगण डिक्री किया जाकर वादीगण को साविक खसरा नम्बर 1092/0.25, 1093/0.23 नये खसरा नम्बर 1239/0.25, 1240/0.24 बांके ग्राम गोपालगढ तहसील पहाडी पर गैरखातेदार के स्थान पर मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पूर्व में चले आ रहे गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन किये जाने की आज्ञा दी जाती है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02/03/2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर).